

छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई, 2012

क्रमांक 1220/एफ 1-15/2012/स्था./चार: राज्य शासन, एतद् द्वारा, स्थानीय निधि संपरीक्षा के निम्न अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शाये अनुसार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री सी.पी. शर्मा, सहायक संचालक	क्षेत्रीय उपसंचालक कार्या., स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव	क्षेत्रीय उपसंचालक कार्या. स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर	स्वयं के व्यय पर
2	श्री एस.एस. खंगन, सहायक संचालक	क्षेत्रीय उपसंचालक कार्या., स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव	क्षेत्रीय उपसंचालक कार्या., स्थानीय निधि संपरीक्षा, जगदलपुर	प्रशासनिक
3	श्री अविनाश तिवारी, सहायक संचालक	क्षेत्रीय उपसंचालक कार्या., स्थानीय निधि संपरीक्षा, जगदलपुर	संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर	स्वयं के व्यय पर

स्थानांतरित अधिकारी दिनांक 14 अगस्त, 2012 तक नवीन पदस्थापना पद पर अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण कर लें ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति 2012-13 के निर्देशों के अनुसार संवर्ग क्षमता के 15 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत है एवं इसके लिए सक्षम आदेश प्राप्त किए गए हैं ।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

2

पृ० क्रमांक 1221/एफ 1-15/2012/स्था./चार रायपुर, दिनांक 31 जुलाई, 2012
प्रतिलिपि :-

- 1/ मान० मुख्यमंत्री जी के सचिव, मंत्रालय, रायपुर
- 2/ मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, के अवर सचिव, मंत्रालय, रायपुर
- 3/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय रायपुर
- 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, रायपुर
- 5/ आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 6/ संभागीय आयुक्त, रायपुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
- 7/ कलेक्टर, रायपुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
- 8/ क्षेत्रीय उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर/जगदलपुर/राजनांदगांव, छ.ग.
- 9/ महालेखाकार, (लेखा/हकदारी), छत्तीसगढ़ रायपुर
- 10/ जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर/जगदलपुर/राजनांदगांव छत्तीसगढ़
- 11/ संबंधित अधिकारी श्री _____
की ओर पालनार्थ ।


अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग,